

119  
II/वि०/सतना/2018/40/0

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट रीवा (म०प्र०)



Rs 30/-

महेन्द्र सिंह तनय सरदार सिंह साकिन पतौड़ी, तहसील उचेहरा,  
जिला सतना (म०प्र०) ~~निगरी वरुद्ध~~ (अपीलांत)

बनाम

म०प्र० शासन जरिये हल्का पटवारी सेमरी, तहसील उचेहरा, जिला  
सतना (म०प्र०) ~~जैरु निगरी वरुद्ध~~ (रिप्लाइन्ट)

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक

19/12/2017 न्यायालय श्रीमान् अपर

आयुक्त रीवा संभाग रीवा (म०प्र०) प्रकरण

क०-227/अपी०/17-18 सतना प्र०क०-

0061/अपी०/2017-18, 0113 RD48

APP-1849

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू

राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-


- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है ।
- 2- यह कि अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम पतौड़ा प०ह०-17 सेमरी तहसील उचेहरा, जिला सतना म०प्र० के न्यायालय में आ०नं०-7 व 8/1 रकवा 0.345 हे० एवं 2.847 हे० स्थित ग्राम पतौड़ा जो म०प्र० शासन की आराजी है के अंश रकवा क्रमशः 0.345 हे० व 0.400 हे० जुमला रकवा 0.745 हे० में अनावेदक महेन्द्र सिंह तनय सरदार सिंह, निवासी ग्राम पतौड़ा ने अतिक्रमण कर अवैध कब्जा कर लिए जाने

(119)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक 11/मि.मं. 2018/10/0 जिला-सतना

महेन्द्र सिंह विरुद्ध म.प्र.शासन

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>महेन्द्र सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक <u>127/अप.नि.2017-18</u> में पारित आदेश दिनांक <u>10.12.2017</u> के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक <u>08-2-2018</u> प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">  सदस्य         </p>	